( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 21/2021**

**रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/166**

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

**बनाम**

श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) निवासी सीताबाड़ी रोड, वार्ड नं0 15, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाड़ी रोड, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री अरूण सक्सेना खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक (अप्रार्थी)

**निर्णय दिनांक 09.03.2022**

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2020 को मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाड़ी रोड, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया [illegible] प[illegible] खाद्य पदार्थ **मावा (खुला)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर [illegible] दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मावा (खुला)** [illegible] शक होने पर नमूना [illegible] हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना [illegible] जांच हेतु [illegible] की सूचना फार्म नं0 [illegible] की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मावा (खुला)** 01 कि0ग्रा0 वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 240/– रूपये (अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मावा (खुला) 01 कि.ग्रा.** को खोलकर साफ–सूखी व खाली तपेली में तुलवाकर एक समरूप कर चार नमूना भाग में अलग–अलग कर कॉच की साफ–सूखी स्वच्छ शीशीयों में भरकर, परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1074 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1074 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र प्रेम सिंह राजपुरोहित (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/359 दिनांक 24.12.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 322/PHL/kota/Act/2020/458 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाड़ी रोड, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां से सूचना चाही जिस पर मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाड़ी रोड, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं की आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 13.07..2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मावा (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी द्वारा धारा– 26(2)(II) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है जिसमें मैसर्स मारवाड़ जोधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाड़ी रोड, केलवाड़ा तह0 शाहबाद, जिला बारां का खुले मावे का नमूना लिया जाना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। फर्द निरीक्षण प्रकिया नियमों के अधीन मौके पर तैयार नहीं की गई है तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है। परीक्षण प्रयोगशाला एन ए बी एल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न हीं खाद्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट 09.11.2020 में वर्णित नमूने की जाँच की अवधि भी दी हुई है परंतु की गई रिपोर्ट का कोई परिणाम प्रतिदिन का रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। इस कारण रिपोर्ट माने जाने योग्य नहीं है। परिवाद अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं स्वीकृति अभियोजन भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद संदेह से परे साबित न होने से निरस्त फरमाया जावें।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 322/PHL/kota/Act/2020/458 दिनांक 09.11.2020 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा(खुला)** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 322 /PHL/kota/Act/2020/458 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को राशि कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को लेखबद्ध करवाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:31:54 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)